

में परिवर्तन करे और न ही किसी सौर उर्जा को आवंटित करे। प्रकरण में रेप्पा, रकबा 150 बीघा पर रेप्पा, कोई दखलदारी नहीं करे और न ही राजस्व रिकार्ड आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि ग्राम भडला के खसरा संख्या 80 आमादा है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा इस दखलदारी को रोकना जाना ली गई। अपील को उक्त भूमि सरकारी दर्ज होने से बंदखल करने पर सका। पैमाइस अधिकारियों की भूल के कारण उक्त कृषि भूमि सरकारी दर्ज कर अपील त गंव से पशु लकर बाहर चले जाने के कारण पैमाइस नहीं करवा विस्वा का है इसमें 150 बीघा पर अपील का कब्जा कदीमी है। वक्त सैलमेंट भडला (नुरे की भुजा) तहसील बाप के खसरा नं. 80 रकबा 5238 बीघा 17 अधिनियम पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया कि ग्राम पेश किया एवं जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान कारतकारी एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 89 राजस्थान कारतकारी अधिनियम अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है।

सहायक कलेक्टर बाप के आदेश दिनांक 11.07.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक : 10.08.2018

निर्णय

- 1 अपील को और से अधिवक्ता श्री बरकत खान।
- 2 रेप्पा, की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदराम चौधरी।

वर्णित :

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 11.07.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 27/2016

दिनांक : 10.08.2018

तहसीलदार बाप जिला जोधपुर।

बनाम

..... अपील

जोधपुर।

गफूर खां पुत्र श्री भूरे खां जालि मुसलमान निवासी भडला तहसील बाप जिला

अपील सं. 94/2017 (225 आरटीए) गफूर खां बनाम तहसीलदार बाप

पीठाधीन अधिकारी : दालराम आर.ए.एस.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर



की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्त अतिक्रमी रहने के तथा समय-समय पर उक्त भूमि से अपीलान्त को बेदखल किया जाता रहा है व अपीलान्त का कब्जा काबल निरंतर वादग्रस्त भूमि पर नहीं रहा है। सरकारी भूमि को अवैध रूप से हड़पना चाहते हैं अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन रैप्टी. की ओर से किया गया। दोनों पक्षों की बहुसंयुक्त बैठक विद्वान अश्विनस्थ न्यायालय सहयक कलेक्टर बाप ने अपने आदेश दिनांक 11.07.2017 के द्वारा अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपीलान्त के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णतया धारि के तीनों बिंदुओं का नहीं होना मानकर प्रार्थना पत्र सारहीन होना मानकर अपीलान्त आदेश के द्वारा खारिज करमा दिया जिससे व्यथित होकर आलोच्य अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रैप्टी. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अपीलान्त न्यायालय का अभिलेख संग्रहाण किया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर समय पक्ष के अधिवक्तागण की बहुसंयुक्त बैठक।

4 अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री बरकत खान ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपीलान्त की वला आ रहा है अपीलान्त ने अपने पूर्वजों के नाम से जारी की रसीदों, अर्से दरान से कब्जा काबल अपने पूर्वजों के समय से वक्त सैटलमेंट के पूर्व से ही पेश किए हैं पूर्व पिर भी विद्वान अश्विनस्थ न्यायालय ने इस प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर हत है और भी उक्त न तो आलोच्य आदेश में अंकन किया और ना ही उक्त कंसीडर किया इस कारण आलोच्य अपीलान्त आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया गया कि अपीलान्त की अपील को स्वीकार करमाया जाकर विद्वान अश्विनस्थ न्यायालय सहयक कलेक्टर बाप के अपीलान्त आदेश दिनांक 11.07.2017 को निरस्त किया जावे तथा अश्विनस्थ अतिक्रमी व कर्मचारीगण अपीलान्त के ग्राम भंडला के खसरा सं. 80 रकबा 150 बीघा पर कोई दखलदारी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे और न ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करे न ही किसी और उर्जा ऐंजंसी को आवंटित करे और ना ही अपीलान्त को उसके कब्जे से बलपूर्वक बेदखल करे। रैप्टी. की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने अपनी बहुसंयुक्त कथन किया कि ग्राम भंडला में खसरा नं. 80 रकबा 5238 बीघा 17 बिस्वा भूमि है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्त इस भूमि पर अतिक्रमी रहा है जिस समय-समय पर बेदखल किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने निरंतर



2/10/18
गफूर खां बनाम तहसीलदार बाप

राजस्व अपील प्राधिकारी जीधपुर
(दाताराम)

10/8/18
Laxmi

निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी जीधपुर
(दाताराम)

10/8/18
Laxmi



- 9
 - 8 का अपीलार्थीन आदेश दिनांक 11.07.2017 यथावत रखा जाता है।
अतः अपील अपीलार्थीन होने से खरिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।
विवेक रूटि नहीं पाई जाती है। अतः यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के होने से खरिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की बनना नहीं पाए जाने से अपीलार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सारहीन सुविधा का संवर्धन एवं अपूर्ण्य क्षति के तीनों बिंदु प्रार्थी/अपीलार्थी के पक्ष में प्रकरण में भूमि राजकीय होने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।
 - 7 उभयपक्ष के अधिवक्ततागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख सारहीन होने से खरिज करने का निर्देन किया।
 - 6 पत्र द्वारा 212 बावत अस्थाई निषेधाज्ञा सही खरिज किया है अतः अपील अपूर्ण्य क्षति के बिंदु प्रार्थी/अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजकीय सिवाय चक की भूमि है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संवर्धन व कब्जा करार होने का कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया है। विवादग्रस्त भूमि
- अपील सं. 94/2017 (225 आरटीए) गफूर खां बनाम तहसीलदार बाप